भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5862

उत्तर देने की तारीख 30 मार्च, 2026

9 चैत्र, 1948 (शक)

खेलो इंडिया के अंतर्गत वित्तपोषण और सुविधाएं

5862. श्री थरानिवेंथन एम. एस. :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में राज्य / संघ राज्यक्षेत्र वार कुल कितने खेलो इंडिया केन्द्र (केआईएस) स्वीकृत और स्थापित किए गए हैं और वर्तमान में इनमें से कितने कार्य कर रहे हैं;

(ख) तमिलनाडु में स्वीकृत किए गए उक्त केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और इसमें सम्मिलित किए गए जिले तथा उनमें कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और इसके तहत कौन-कौन सी खेल - विधाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त केन्द्रों के लिए आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार विशेषकर, तमिलनाडु के लिए ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का तमिलनाडु के वंचित जिलों, ग्रामीण क्षेत्रों और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे अतिरिक्त केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा उक्त केन्द्रों पर योग्य प्रशिक्षकों, आधुनिक उपकरणों, खेल विज्ञान संबंधी सहायता और अवसंरचना के रख-रखाव की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में खेल विधाओं के साथ स्वीकृत और चालू खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) की जिलावार संख्या इस मंत्रालय के डैशबोर्ड https://dashboard.kheloindia.gov.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ग) इस मंत्रालय में खेलो इंडिया स्कीम के तहत धनराशि स्कीम-वार आवंटित की जाती है, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार या घटक-वार नहीं। तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खेलो इंडिया स्कीम के तहत आवंटित धनराशि और किया गया व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रु.)

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि	किया गया व्यय
2020-21	328.77	338.06
2021-22	869.00	764.29
2022-23	600.00	596.39
2023-24	880.00	872.20
2024-25	746.54	620.75
2025-26	700.00	695.48 (28.02.2026 तक)

(घ) खेलो इंडिया स्कीम के तहत तमिलनाडु के प्रत्येक जिले में कम से कम एक केआईसी स्थापित किया गया है, इस प्रकार, स्कीम के प्रति जिले एक केंद्र के प्रावधान के अनुसार सभी जिलों को कवर किया जा रहा है।

(ङ) केआईसी के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सरकार, योग्य पूर्व चैंपियन एथलीटों को कोच के रूप में नियुक्त करने, खेल उपकरण की खरीद और प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिए सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से कोचों का क्षमता संवर्धन किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पहचाने गए केंद्रों पर अवसंरचनाओं के निर्माण और उनके अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि मौजूदा खेल पारिस्थितिकी तंत्र और खेलो इंडिया स्कीम के अन्य घटकों के साथ अभिसरण के माध्यम से खेल विज्ञान और संबद्ध सहायता विस्तारित की जाती है।
